

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/541

Date: 07/03/19

आदेश

एनएचएम अन्तर्गत संविदा एडोलेसेन्ट हेल्थ काउंसलर के पद पर कार्यरत निम्न संविदा कार्मिकों का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(IV) में निहित प्रावधानों के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

क्रसं.	नाम व पदनाम	रिलोकेशन कहां से	रिलोकेशन कहां को
1	रामसुख गुर्जर एडोलेसेन्ट हेल्थ काउंसलर	सीएचसी पंचपदरा, बाड़मेर	सीएचसी दई, बून्दी
2	शीतल भावसर एडोलेसेन्ट हेल्थ काउंसलर	सीएचसी डूंगरसारण, डूंगरपुर	सीएचसी गैजी, डूंगरपुर
3	श्री कृष्ण कुमार एडोलेसेन्ट हेल्थ काउंसलर	सीएचसी शिव, बाड़मेर	सीएचसी आहोर, जालोर
4	सावित्री शर्मा एडोलेसेन्ट हेल्थ काउंसलर	सीएचसी टीडी, उदयपुर	महिला चिकित्सालय अलवर, अलवर

(डॉ. समित शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, संबंधित जिले।
9. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
10. वर्णित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
11. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक  
एनएचएम